संविधान दिवस के अवसर पर 'भारतीय संविधान और नागरिकों के कर्तव्य' विषय पर व्याख्यान

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में 'संविधान दिवस' के अन्तर्गत एक व्याख्यान आयोजित किया गया जिसमे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजनैतिक विभाग के भूतपुर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डा. पी.एस. भाटी ने 'भारतीय संविधान और नागरिकों के कर्तव्य' विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए बताया कि भारत में 26 नवंबर को आज ही के दिन 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डा. भीमराव अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए उन्होंनें कहा कि बाबा साहेब ने राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की सटीक व्याख्या की। इन्हीं सिद्धांतों से भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाई है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग-4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किये थे। हमारा संविधान ही हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अगर देश के नागरिक संविधान में प्रतिष्ठापित बातों को अनुसरण करते हैं तो इससे देश में अधिक लोकतान्त्रिक मूल्यों का उदय होता है।

संस्थान के प्रभारी निदेशक डा. प्रवीण कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ नागरिक पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, हालांकि, अपने देश के प्रति उनके बहुत से दायित्व हैं। अधिकार और दायित्व, एक ही सिक्के के दो पहलु है और दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। कार्यक्रम के संयोजक डा. महेश के. गौड़ ने प्रारम्भ में इस कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला । इस कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिक, तकनिकी अधिकारी, प्रशासन और वित्त शाखा एवं अन्य कर्मचारीयों ने उत्साह से भाग लिया।